अनुरोध किया कि भविष्य में अप्रार्थी इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात एवं रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी द्वारा आमजन में **अवमानक (sub standard) मावा का विक्रय करना पाया गया।** अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। उपरोक्त प्रावधान का मध्येनजर रखते हुए अप्रार्थी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है, चूंकि अप्रार्थी द्वारा उन पर लगाये गये आरोपों को स्वीकार करने एवं उन पर लगाये गये आरोपों की भविष्य में पुनरावृति नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया है। **अतः अप्रार्थी सुरेश चन्द गर्ग पुत्र श्री मोती लाल गर्ग, विक्रेता एवं मालिक, मैसर्स– सुरेश चन्द पंकज कुमार मावा वाले, नयापुरा, जयहिन्द होटल के नीचे, कोटा, नमूना लेने का स्थान– पुलिस थाना दिगोद तहसील दीगोद, जिला कोटा, निवासी– 32,33, आदर्श नगर, कोटा पर 7000/– रूपये (अक्षरे सात हजार रूपये)** शास्ती आरोपित की जाती है। अप्रार्थी प्रतिपक्षी आरोपित शास्ती राशि जमा राज कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की प्रति आवेदक जर्ये **संदीप अग्रवाल** खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दायर रजिस्टर के नम्बर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

अति० जिला कलक्टर
कोटा

Deposit vide R. No. ...... Dated ...... Rs. 7000

कैशियर
कार्यालय जिला कलक्टर
कोटा